तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु चरणपादुका योजना की सार्थकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन (बस्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रविश कुमार सोनी* & श्रीमती शिखा अग्रवाल**
*सहायक प्राध्यापक वाणिज्य कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई (छ.ग.)
*शोधार्थी कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई (छ.ग.)

Received: May 25, 2018 Accepted: June 30, 2018

प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में संपूर्ण भारत वर्ष के उत्कृष्ठ किस्म के तेंदूपत्ता उपलब्ध है एवं अप्रैल के तृतीय सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक इनका संग्रहण किया जाता है । संग्रहण की अवधि में स्थानीय जलवायु के आधार पर 15 दिनों तक का अंतर पाया जाता है । तेंदूपत्तों के संग्रहण हेतु संग्राहकों को सघन वनों के भीतर दुर्गम स्थानों में जाकर पत्तों की तोड़ाई का कार्य करना होता है, जिसमें आने वाली कठिनाईयों को दृष्टिकोण रखते हुए वर्ष 2005–06 में चरणपादुका योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य की मई व जून की तपती दोपहरी में आदिवासियों के पैरो को जलने व कंकड़ पत्थरों से जख्मी होने से बचाया जा सके । वे संग्राहक जो पिछले 02 सालों में किसी भी एक साल कम से कम 500 गड्डी तेंदूपत्ता संग्रहित किये हो इस योजना का लाभ पाने की पात्रता रखत है ।

शोध का क्षेत्र – शोध का क्षेत्र बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बस्तर है जिसका क्षेत्रफल 4029.98 वर्ग कि.मी. है। संभाग एवं जिला मुख्यालय जगदलपुर है। यहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या जनजातिय वर्ग की बस्तर जिला सरल स्वभाव, जनजातिय समुदाय एवं प्राकृतिक संपदा संपन्न है। यह क्षेत्र 7 विकासखंडों में विभाजित है– जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल, दरभा एवं बास्तानार। वनोपज संग्रहण ग्रामीण उपार्जन के प्रमुख स्त्रोतों से एक है एवं लाख पालन भी इसी श्रेणी में सम्मिलित है।

शोध कार्य का उद्देश्य :–

शोध पत्र का लेखन निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है ।

- पिछले वर्षो में बस्तर में चरणपादुका वितरण के आंकड़ो का तुलनात्मक अध्ययन ।
- योजना की सार्थकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

अध्ययन हेतु निर्मित परिकल्पनायें –

बिना उचित परिकल्पना के किसी भी शोधकार्य में एक कदम भी आगे नहीं बड़ा जा सकता । प्रस्तुत शोधपत्र के लेखन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनायें की गई है ।

- शोध पत्र में चरणपादुका का विरतरण योजना सुचारू रूप से कियान्वित है ।
- संग्राहकों को योजना से पर्याप्त लाभ प्राप्त हो रहे है ।

राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई चरणपादुका योजना का प्रमुख उद्देश्य दुर्गम स्थानों पर जाकर तेंदूपत्ता व अन्य वनोपज संग्रहित करने वाले संग्राहकों को कष्टों से निजात दिलाना है । नंगे पैर सघन व दुर्गम वनों में जाने से वनवासी संग्राहकों के पैरों में गैग्रीन की बीमारी हो जाती थी, जिसे कभी कभी पैर काटने तक की नौबत आ जाती थी । आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये संग्राहक चप्पल खरीदने में असमर्थ होते थे एवं विषम परिस्थितियों में भी नंगे पैर ही तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य करते थे । इस समस्या के समाधान स्वरूप इस योजना के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में अब तक 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की जा चुकी है ।

बस्तर संभाग के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो में वितरण हेतु उपलब्ध चरणपादुका एवं वितरित की गई चरणपादुका के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैः–

तालिका क्रमांक 01

बस्तर संभाग में वितरण हेतु उपलब्ध एवं वितरित की गई चरणपादुओं की संख्या (वर्ष 2011 से 2017 तक)

वर्ष	चितरण हेतु उपलब्ध चरणपादुका	वितरित की गई चरणपादुका	शेष बची चरणपादुका
2011	315600	280860	34740
2012	328757	318973	9784
2013	325974	325794	00
2014	350885	350868	17
2015	301319	291240	10079
2016	376344	255163	12208
2017	388273	362832	25441

स्त्रोत – छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रकाशित संबंधित वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट

तालिका में प्रदर्शित आंकड़ो से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2013 में उपलब्ध संपूर्ण चरणपादुकायें वितरित कर दी गई जबकि वर्ष 2011 में शेष बची चरणपादुकायें सर्वाधिक 34740 थी । बस्तर के कांकेर पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, दक्षिण कोण्डागांव, उत्तर कोण्डागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा के जिला यूनियनों में वितरण हेतु चरणपादुकायें उपलब्ध कराई गई थी । चरणपादुका प्राप्त करने वाले 50 संग्राहकों से प्रश्नावली माध्यम से योजना की सार्थकता के संबंध में विभिन्न प्रश्न पूछे गय जो निम्न हैः–

क्रमांक	प्रश्न	हां	नहीं
1	क्या चरणपादुका योजना के माध्यम से संग्रहण कार्य पूर्ण की अपेक्षा सरल हुआ है ।	32	18
2	क्या प्राप्त होने वाली चरणपादुका की क्वालिटी से संतुष्ट है ।	28	22
3	क्या योजना के फलस्वरूप परिवार के अन्य सदस्य भी संग्रहण कार्य में संलग्न हुए है	37	13
4	तेंदूपत्ता सीजन समाप्ति पश्चात भी यह प्रयोग योग्य रहती है	30	20
5	क्या आप योजना से पूर्ण रूपेण संतुष्ट है ।	27	23

प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त उत्तरों से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश तेंदूपत्ता संग्राहक यह मानते है कि योजना के परिणामस्वरूप चरणपादुका प्राप्त होने से संग्रहण कार्य उनके लिए पूर्व की अपेक्षा अब आसान हो गया है वहीं चरणपादुका की क्वालिटी के संबंध में मतदाताओं में मतभिन्नता अधिक थी असंतुष्ट हितग्राहियों के अनुसार चप्पलों की क्वालिटी उत्तव न होने के कारण के दुर्गम स्थानों पर जाने हेतु टिकाउ नहीं थी अतः पूरे सीजन में वे उसका प्रयोग नहीं कर पाते वहीं कुछ संग्राहक यह भी मानत है कि योजनाप के कारण परिवार की महिला सदस्यों व अन्य सदस्यों की संलग्नता भी इस कार्य में बढ़ी है जो उत्तरदाता योजना से पूर्णरूपेण संतुष्ट नहीं थे उसके अनुसार केवल चरणपादुका से ही उनकी समस्या का समाधान संभव नहीं है अपितु इसके अतिरिक्त छागल, छाते, परिवहन साधन भी आवश्यक है एवं महिलाओं को चप्पल की अपेक्षा जूती का प्रयोग अधिक श्रेयस्कर होने के कारण उन्हें जूती वितरित की जानी चाहिए ।

ज्ञातव्य है कि योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में 10 करोड़ रूपये, 2012 एवं 2013 में 15 करोड़ रूपये, 2014 में 17.99 करोड़ एवं बाद के वर्षो में 20 करोड़ रूपय की राशि इस योजना हेतु स्वीकृत की गई थी, इसी प्रकार वर्ष 2011 में महिला सदस्य 2012 में पुरूष सदस्य व इसी प्रकार बाद के वर्षो में महिला व पुरूष सदस्यों को चरणपादुका का वितरण किया गया । वनांचल क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण अतिरिक्त आमदनी का साधन है । योजना के पूर्व जूते चप्पल न होने के कारण पांव जख्मी हो जाते थे व उनके छाले पड़ जाते थे इस स्थिति में संग्रहण कार्य बाधित होने के कारण परिवार का भरण पोषण कठिन हो जाता था ।

परन्तु उपरोक्त सभी सकारात्मक पहलुओं के अतिरिक्त योजना से जुड़ी कुछ समस्यायें भी है जैसे प्रक्रियागत कारणों से वितरण कार्यो का सुचारू रूप से क्रियान्वित न हो पाना एवं शासन द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी योजना का क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा विरोध भी योजनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है कई बार वितरण कार्य में अनियमितता के चलते भी संग्राहकों को वस्तुओं का वितरण समय पर नहीं हो पाया है ।

उपरोक्त सभी समस्याओं के निदान हेतु संभावित उपायों पर यदि गहन चिंतन किया जाये तो यह तथ्य विदित होता है कि शोध क्षेत्र से जुड़ी किसी भी समस्या के मूल में नक्सलवाद छिपा हुआ है जो न केवल किसी योजना विशेष की सफलता को प्रभावित करता है अपितु क्षेत्र के संपूर्ण विकास में अवरोधक है । इसके अतिरिक्त योजना का और अधिक प्रभावी बनाने हेतु चरणपादुकाओं की गुणवत्ता, सही समय पर उसका वितरण, पुरूषों एवं महिलाओं दोनों की आवश्यतानुसार चप्पल या जूती का वितरण किया जाना चाहिए ।

निष्कर्ष –

संपूर्ण अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि चरणपादुका योजना निःसंदेह तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु वरदान साबित हुई है जो संग्रहण कार्य को आसान बनाने के साथ साथ संग्राहकों को चोट, संक्रमण से बचाती है यदि योजना में विद्यमान कुछेक खामियों के निवारण हेतु सक्रियता दिखाई जाये तो यह योजना सफलतम योजनाओं में से एक है जिससे संग्राहकों के हितों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं वनोपज संग्रहण भी लक्ष्य एवं मानकों के अनुरूप हो पाता है ।

संदर्भ–

1. छत्तीसगढ़ के वन वनवासियों के कुबेर
2. नवभारत
3. www.inhaews.in
4. www.bastar.gov.in
5. Bhaskar news - 8 November 2017 (www.bhaskar.com)
6. हमर छत्तीसगढ़
7. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ – वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015 व 2017